

आयालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० 251/2024

तारीख रजू :- 11/11/2024

दावा बाबत तकासा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मेशल आई0डी0 नम्बर 2024/533

उनवान

राजू पुत्र फूलसिंह जाति माली निवासी इस्लामपुरा के पीछे कलुआ की बगीची वार्ड न0 22 करौली रोड जिला करौली राजस्थान

—वादीगण—05

बनाम

लक्ष्मी पुत्री फुलसिंह पत्नि धनपाल जाति माली निवासी हाल निवासी पुरानी कचहरी के पास महवा जिला दौसा राजस्थान

—प्रतिवादीगण—04

नांक फर्द अहकाम

11/11/24 यह दावा वादी की ओर से श्री रामखिलाडी सैनी एडवोकेट के जरिए पेश हुआ, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 09.12.2024 को पेश हो।

(हेमराज गुर्जर)  
उप खण्ड अधिकारी  
हिण्डौन जिला करौली

P 92  
20

वकूलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी काज कार्प में व्याप्त पधारे है। गतानुसार दिनांक.....को पेश हो 20-9-24

20/11 पत्रावली पेश हुई वकूलाय उपस्थित, पत्रावली पूर्वानुसार


वास्ते.....की नं० 1,2 की ओर से श्री एडवोकेट राजू पुत्र फूलसिंह के द्वारा पेश हुआ।  
.....की पत्रावली दिनांक.....को पेश हो।  
17-11-25

Not Press

21/11/25

पत्रावली आग मिनार लक्ष्मी के जा. पत्र पर पेश हुई। वादीगण व प्रतिवादीगण वकील उप. व वादीगण व प्रतिवादीगण वकील ने अवगत कराया कि वादीगण व प्रतिवादीगण वकील उमरग जगरी वही उमरग वादीगण व प्रतिवादीगण वकील उमरग वकील उमरग नोटिस के नकारिक फरजा बादा। उमरग नं० 251/24 दावा राजू बनाम लक्ष्मी नोटिस में 20/11/24 मिनार पाल है। पत्रावली के बल मुकदमा होकर नम्बर 251/24 है।

राजू



राजस्थान

11/11/24

सिंह

5  
विगत  
4  
3  
5  
0  
5  
2  
11

11/11/24  
11/11/24  
11/11/24  
11/11/24

राजस्थान

11/11/24

सिंह